



## समक्ष : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील प्रकरण कमाक

/2016 जवलपुर

अपील

560 I/16

23

हरप्रसाद गौड पुत्र स्व श्री छोटेलाल गौड निवासी  
मकान नं. 110, सिवनीटोला तहसील व जिला  
जवलपुर म.प्र. । .....अपीलार्थी

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. राकेश अवस्थी पुत्र श्री शिवरतन अवस्थी निवासी  
1591 गंगानगर मडफैया गढा वार्ड तहसील व जिला  
जवलपुर म.प्र. ।

.....प्रत्यार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क  
427/अ-21/2013-2014 मे पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 के  
विरुद्ध मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन  
अपील ।

माननीय महोदय,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेदन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मुकनवारा प0ह0नं0 33 रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 136/1 रकबा कमशः 0.450 हेक्टे.(1.11 एकड) अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृषि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नहीं हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विक्रय कर वह बच्चों की शिक्षा के लिये भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्रय हेतु पर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुबंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जावे ।
3. यहकि, अपीलार्थी के पास उक्त भूमि विक्रय करने के बाद भी अपीलार्थी के पास 2.65 हेक्टे. भूमि शेष बचना बताया गया है। एवं ग्राम सिवनीटोला मे साढे छः एकड सिंचित भूमि शेष बच रही हैं जिससे उसका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सकता है।
4. यहकि, माननीय श्रीमान न्यायालय द्वारा भी कई प्रकरणों मे उक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की है इसलिये समान प्रकृति व समान नेचर का होने से उक्त भूमि विक्रय की अनुमति की आवश्यकता है।

अपील

श्री सुनील सिंह जादव, का/198  
द्वारा आज दि. 16-2-16 को  
प्रस्तुत

कलेक्टर गौड, का/16  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


16-2-16  
S. N. J. 198

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 560-एक/16

जिला -जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.2.2016	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा उपस्थित होकर टंकणी -त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्र0क0 अपील 560-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 19.2.16 में पैरा-3 में कलेक्टर जबलपुर के स्थान पर कलेक्टर छतरपुर टंकण हो गया है । अतः कलेक्टर छतरपुर के स्थान पर कलेक्टर जबलपुर पढ़ा जावे।</p> <p>अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा पैरा -3 में कलेक्टर छतरपुर के स्थान पर कलेक्टर जबलपुर पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग माना जावेगी।</p>	<p> सदस्य</p>

